आखिरी जांच: 9 अक्टूबर 2026 · Backward Classes, Most Backward Classes and Minorities Welfare Department (Tamil Nadu Waqf Board)

Ulema Pension Scheme

तमिलनाडु सरकार दरगाहों के सेवानिवृत्त पेश इमामों, मुअज़्ज़िनों, अरबी शिक्षकों और मुजावरों को हर महीने पेंशन देती है, जो तमिलनाडु वक़्फ़ बोर्ड के ज़रिए स्वीकृत होती है।

क्या मिल सकता है

5,000 रुपये प्रति माह पेंशन, जो ज़िला कोषागार के ज़रिए दी जाती है। पेंशनधारी के निधन के बाद पात्र कानूनी वारिस को आख़िरी पेंशन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है।

किसके लिए है

दरगाहों या वक़्फ़ संस्थाओं में कम से कम 20 साल सेवा देने वाले और 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सेवानिवृत्त पेश इमाम, मुअज़्ज़िन, अरबी शिक्षक और मुजावर।

मुख्य शर्तें

- आवेदक उलेमा हो और दरगाह में पेश इमाम, मुअज़्ज़िन, अरबी शिक्षक या मुजावर के रूप में सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो।
- उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो और कम से कम 20 साल की सेवा हो।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 40 वर्ष की उम्र और 10 साल की सेवा काफ़ी है।
- सेवा तमिलनाडु वक़्फ़ बोर्ड में पंजीकृत वक़्फ़ में, या सर्वेक्षण होकर सरकारी राजपत्र में अधिसूचित अपंजीकृत वक़्फ़ में की गई हो।

आवेदन कैसे करें

1. आवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तमिलनाडु वक़्फ़ बोर्ड, चेन्नई को भेजें।
2. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की अध्यक्षता वाली उलेमा पेंशन स्वीकृति समिति पेंशन मंज़ूर करती है।
3. मंज़ूर हुई पेंशन ज़िला कोषागार के ज़रिए दी जाती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cms.tn.gov.in/cms_migrated/document/docfiles/mw_e_pn_2026_27.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/tamil-nadu/tn-ulema-pension/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।